राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्सजज

शशि कुमारी बनाम राज्य सरकार

मु.नं.– 08/26 किस्म – धारा - 120 LRAct

14.03.26 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा में पेश हुई। पक्षकारान के मध्य सहमति नहीं बनी। पत्रावली दिनांक 27.03.26 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

27/3/26 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17.4.26 को पेश हो।

17.04.26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रा.पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया। प्रा.पत्र धारा 120 LRAct पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस का मनन किया। पत्रावली का, प्रा.पत्र का एवं तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट एवं खसरा नम्बर 1389 की प्रस्तुत नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 120 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
08/2026	13.02.2026	17.04.2026

बउनवान

शशि कुमारी मीना पत्नी जगमोहन मीना, निवासी झूँथाहेडा कलां, तह. बैजूपाडा, जिला दौसा।

..**प्रार्थीया**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बैजूपाडा, जिला दौसा।

..**अप्रार्थी**

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री विक्रम सिंह गुर्जर।

<u>प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128</u>
<u>राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956</u>

निर्णय

1. प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1389 रकबा 3.91 हैक्टे. ग्राम बैजूपाडा, पटवार मण्डल बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि की वास्तविक खातेदार काबिज काश्तकार प्रार्थीया ही है। उक्त संपूर्ण भूमि को प्रार्थीया ही काबिज रहकर आज तक काश्त करती चली आ रही है। उक्त भूमि के आस पास अन्य पडौसी खातेदारों की भूमि है जो अक्सर प्रार्थीया से सीमा संबंधित विवाद उत्पन्न करते रहते है और प्रार्थीया की भूमि को दबाने का प्रयास करते है। इसलिये प्रार्थीया अपनी भूमि का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी करवाना चाहती है ताकि प्रार्थीया की भूमि की सुरक्षा हो सके और अन्य पडौसी काश्तकारों के दबाब से बचा जा सके। प्रार्थीया ने तहसीलदार बैजूपाडा के समक्ष भूमि का सीमाज्ञान कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो क्रमांक 2025/652–54 के द्वारा तारीख 15.04.2025 की पालना में तहसीलदार जी के आदेशानुसार उक्त भूमि की सीमाज्ञान हेतु दिनांक 01.05.2025 को मौका पर्चा बनाया। उस समय अन्य खातेदारान व प्रार्थीया स्वयं उपस्थित थी। इन सबकी उपस्थिति में ही विधिवत रूप से तहसीलदार द्वारा भूमि का विधिवत सीमाज्ञान कराया गया। पडौसी खातेदारान इस सीमाज्ञान को नहीं मानते हैं और वे जबरन प्रार्थीया की भूमि पर कब्जा कर कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करते है जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीया ने उनको समझाया कि मौके पर प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार प्रार्थीया ही काबिज है, काश्त कर रही है। इसलिये प्रार्थीया को अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान कराने दिया जावे लेकिन पडौसी खातेदार नहीं मान रहे है और प्रार्थीया की भूमि को जबरन दबाने का प्रयास कर रहे है। इसलिये प्रार्थीया अपनी भूमि की सुरक्षार्थ सीमाज्ञान तथा पत्थरगढी करवाना चाहती है ताकि प्रार्थीया की भूमि की सुरक्षा हो सके। प्रार्थीया हैसियतदार व इज्जतदार महिला है, पडौसीयान से किसी प्रकार का कोई झगडा इत्यादि नहीं करना चाहती है। इस उदेश्य से प्रार्थीया द्वारा उक्त आराजी का

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराया जाना न्यायोचित है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का सीमा विवाद पडौसी खातेदारान से नहीं हो सके। पड़ोसीयान प्रार्थीया की उक्त प्रश्नगत भूमि के सीमाज्ञान व पत्थरगढी किये जाने में किसी भी प्रकार का जबरन ताकत के बल पर अवरोध उत्पन्न किये जाने की दशा में जरिये पुलिस इमदाद प्रार्थीया की प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी कराई जावे। प्रार्थीया उक्त आराजी में सीमाज्ञान व पत्थरगढी में होने वाले सम्पूर्ण खर्च को वहन करने को तैयार है। अप्रार्थी लैण्ड होल्डर होने के कारण सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने के कारण उसे पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि एवं अप्रार्थी न्यायालय मान्य के क्षेत्राधिकार में है। ऐसी दशा में उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय मान्य को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर नियमानुसार प्रस्तुत है।अतः निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार बैजूपाड़ा को आदेशित फरमाया जाये कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 1389 का सीमाज्ञान व पत्थरगढी किये जाने बाबत टीम गठित कर सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

2. प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के सम्बन्ध में तहसीलदार बैजूपाड़ा की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 25.03.2026 के अनुसार, ग्राम बैजूपाड़ा के आराजी खसरा नम्बर 1389 रकबा 3.91 हैक्टे. भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड शशि कुमारी पत्नि जगमोहन, जाति मीना सा. झूथाहेड़ाकलां खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 1389 पर खातेदार काबिज है। अतः पैरा नं. 01 में वर्णित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है तथा उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 01.05.2025 को करवा दिया गया है तथा पड़ौसी खातेदारान् से सीमा सम्बन्धी विवाद है।

3. पत्रावली, तहसीलदार बैजूपाड़ा की रिपोर्ट एवं खसरा नम्बर 1389 की प्रस्तुत नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार, ग्राम बैजूपाड़ा, तहसील बैजूपाड़ा, जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा सं 1389 की प्रार्थीया दर्ज रिकॉर्ड एकल खातेदार है। तहसीलदार बैजूपाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार, प्रार्थीया विवादित आराजी खसरा सं. 1389 पर काबिज काश्त है। प्रार्थीया अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने के अधिकारी है। इससे राजस्व अभिलेख में किसी भी पक्षकार के किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

4. प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम बैजूपाड़ा, पटवार हल्का बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा सं. 1389 रकबा 3.91 हैक्टे. के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीया के उक्त खसरा की पत्थरगढी किये जाने के लिये भू. अ. निरीक्षक बैजूपाडा को 1500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लिखित सहमति

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

पश्चात प्रार्थीया की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थीया मौके पर जमा करावें। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थीया की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में किसी न्यायालय का स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावें। अतः भू. अ. निरीक्षक बैजूपाडा मौके पर उपस्थित प्रार्थीया एवं पडोसियों की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

5. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 17.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)